अनुदान संख्या 44 – भारी उद्योग विभाग
GRANT No. 44 - DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	930,35,00			
			972,81,00	584,98,68	-387,82,32
पूरक	Supplementary	42,46,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				387,65,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	559,63,00			
			559,64,00	311,56,00	-248,08,00
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				248,07,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹38782.32 लाख) सितंबर, 2020 तथा फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹4246.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 40 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹38782.32 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹4246.00 lakhs obtained in September, 2020 and February, 2021 and constituted 40 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	4109.00	3254.84	3238.60	-16.24
पु.	R.	-854.16			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	88926.00	55261.16	55260.08	-1.08
पू.	S.	4246.00			
पु.	R.	-37910.84			

(I) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – भारी उद्योग विभाग" के अंतर्गत ₹870.40 लाख की बचत (₹4109.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने तथा कोविड–19 महामारी के कारण कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Heavy Industry" - saving of ₹870.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4109.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance and less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic.

(II) मुख्य शीर्ष "2852" – "सामान्य – अन्य व्यय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(II) Under Major Head "2852" - "General - Other Expenditure" - savings occurred under the following heads:-

(का) "ऑटो मोबाइल उद्योग का विकास" – ₹37607.49 लाख की बचत (₹70794.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Development of Automobile Industry" - saving of ₹37607.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹70794.00 lakhs); and

(खा) "पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का विकास" – ₹10704.43 लाख की बचत (₹17931.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Development of Capital Goods Sector" - saving of ₹10704.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17931.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड–19 महामारी के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from implementing agencies owing to COVID -19 pandemic.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹10401.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2852" – "सामान्य" – अन्य व्यय – केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹10400.00 लाख था।

2. The above savings were partly (₹10401.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "2852" - "General - Other Expenditure - Support to Central Public Sector Enterprises". Actual excess, however, was ₹10400.00 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआः–

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष / Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4860"	Major Head "4860"				
उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Consumer Industries				
मू.	O.	14224.00			
			9295.00	9295.00	..
पु.	R.	-4929.00			
मुख्य शीर्ष "6858"	Major Head "6858"				
इंजीनियरी उद्योगों के लिए कर्ज	Loans for Engineering Industries				
मू.	O.	35399.00			
पू.	S.	1.00	15531.00	15530.00	-1.00
पु.	R.	-19869.00			

(I) ₹5907.00 लाख का प्रावधान सत्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹5392.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "6858" – "अन्य इंजीनियरी उद्योग – सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज – स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तथा पृथकीकरण स्कीम (वीआरएस/वीएसएस) का कार्यान्वयन तथा सांविधिक देयताओं का भुगतान" – कोविड–19 महामारी

(I) Provision of ₹5907.00 lakhs remained wholly unutilized under seventeen heads; of these ₹5392.00 lakhs alone accounted for under Major Head "6858" - "Other Engineering Industries - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Implementation of Voluntary Retirement and

के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

Separation Scheme (VRS/VSS) and Payment of Statutory Dues" - due to non-receipt of proposals from implementing agencies owing to COVID-19 pandemic.

(II) मुख्य शीर्ष "4860" – "पेपर और न्यूजप्रिंट – सावर्जनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश – नेपा मिल्स लि. में निवेश" के अंतर्गत – ₹4429.00 लाख की बचत (₹13724.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(II) Under Major Head "4860" - "Paper and Newsprint - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Investment in Nepa Mills Ltd." - saving of ₹4429.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13724.00 lakhs) ; and

(III) मुख्य शीर्ष "6858" – "अन्य इंजीनियरी उद्योग – अन्य ऋण – नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग तथा आरएंडडी अवसंरचना परियोजनाओं को कर्ज" के अंतर्गत ₹18570.00 लाख की बचत (₹30000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(III) Under Major Head "6858" - "Other Engineering Industries - Other Loans - Loans to National Automotive Testing and R&D Infrastructure Projects" - saving of ₹18570.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30000.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड–19 महामारी के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from implementing agencies owing to COVID-19 pandemic.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹4099.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "6858" – "परिवहन उपकरण उद्योग – सावर्जनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज – स्कूटर इंडिया लिमिटेड को कर्ज" के अंतर्गत फरवरी, 2021 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹4098.00 लाख था।

4. The above savings were partly (₹4099.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in February, 2021 under Major Head "6858" - "Transport Equipment Industries - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Loans to Scooter India Limited". Actual excess, however, was ₹4098.00 lakhs.